रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 21, 2013/ज्येष्ठ 31, 1935
No. 173] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 21, 2013/JYAISTHA 31, 1935

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2013

फा.सं. लीगल/50/2013.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 की उप-धारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण.**–(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार वसूली) संशोधन विनियम, 2013 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार वसूली) संशोधन विनियम, 2007 में विनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, नामत:

3. **शुल्क वसूली.**–(1) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक अनुप्रयोग में नीचे विनिर्दिष्ट अनुसार शुल्क लगाया जाएगा :

क्र.सं.	अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यकलाप	शुल्क (रु.)
(1)	(2)	(3)
1.	अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के अंतर्गत पंजीकरण	5,00,000
2.	प्राधिकरण के लिए रुचि की अभिव्यक्ति	10,000
3.	अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्राधिकार देना (या) सीजीडी नेटवर्क की पृथक विशिष्टता, यदि प्राधिकरण के लिए अनुप्रयोग के अंतर्गत कवर न किया गया हो। (या) सामान्य वाहक या संविदा वाहक पाइपलाइनों का विस्तार या सीजीडी नेटवर्क ---- सीजीडी प्रस्ताव : श्रेणी क नगर * अन्य नगर ** पाइपलाइन प्रस्ताव: स्पर लाइनें ट्रंक लाइनें < या= 500 किलोमीटर ट्रंक लाइनें >500 किलोमीटर	 12,00,000 8,00,000 10,00,000 15,00,000 20,00,000
4.	सुरक्षा मानक सहित किस तकनीकी मानक या विशिष्टि का निर्माण करना या उसे अद्यतन बनाना अथवा उसमें संशोधन करना	10,000
5.	बोर्ड के आदेश की प्रमाणित प्रति	500
6.	अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (ज) के अंतर्गत बोर्ड के आदेश में संशोधन या समीक्षा करना	30,000
7.	अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (4) के अंतर्गत रजिस्टर में प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति (प्रति पृष्ठ) प्राप्त करना	100
8.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रजिस्टर का निरीक्षण (प्रति निरीक्षण)	5,000
9.	अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2) के अंतर्गत शिकायत दर्ज करना - (क) ऐसी कंपनियों के वाणिज्यिक ग्राहक और कंपनियां (ख) स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन/गैर-सरकारी संगठन ऐसे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पीएनजीआरबी अधिनियम 2006 की धारा 25(1) के अंतर्गत निर्धारित के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित एक उपभोक्ता निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत मामलों के अलावा होते हैं।	 2,00,000 1,000

* अधनातन जनगणना के अनुसार दस लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर।

** अधनातन जनगणना के अनुसार दस लाख से कम की जनसंख्या वाले नगर।

के .राजेश्वर राव, ओएसडी (आर)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/188/13]

"**पाद टिप्पणी:** मूल विनियम **सा.का.नि. 732(अ)** दिनांक 26 नवंबर, 2007 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और इसमें 7 जून, 2010 को **सा.का.नि.** 477(अ) द्वारा संशोधित किया गया था। "

THE PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2013

F. No. Legal/50/2013.—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Amendment Regulations, 2013.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007, for regulation 3, the following shall be substituted, namely :—

3. Levy of Fee.— (1) Every application under various provisions of the Act shall accompany fee as specified below :

S. No.	**Activity under the provisions of the Act**	**Fee (Rs.)**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	Registration under sub-section (2) of section 15 of the Act	5,00,000
2.	Expression of interest for authorization	10,000
3.	Authorization under sub-section (3) of section 17 of the Act (or) Exclusivity of CGD network separately if not covered under the application for authorization (or) Expansion of common carrier or contract carrier pipelines or CGD networks---- CGD Proposal : Class A City * Other cities ** Pipeline Proposal: Spur lines Trunk lines < or= 500 Kilometers Trunk lines >500 Kilometers	12,00,000 8,00,000 10,00,000 15,00,000 20,00,000
4.	Formulation or updating or amending of any technical standard or specification including safety standard	10,000
5.	Certified copy of the order of the Board	500
6.	Modification or review of Board's order under sub-section (h) of section 13 of the Act	30,000
7.	Obtaining a certified copy of an entry in the register under sub-section (4) of section 14 of the Act (per page)	100

8.	Inspection of Petroleum and Natural Gas Register (per inspection)	5,000
9.	Filing a complaint under sub-section (2) of section 25 of the Act (per complaint)— (a) Entities and commercial customers of such entities— (b) Voluntary consumer organization/non Governmental organizations representing individuals other than on matters maintainable before a consumer Redressal Forum set up under Consumer Protection Act, 1986 as stipulated under Section 25(1) of the PNGRB Act, 2006	2,00,000 1,000

*Towns with population one million and above as per latest Census.

**Towns with population less than one million as per latest Census.

K. RAJESWARA RAO, OSD (R)
[ADVT III/4/Exty./188/13]

"Foot Note : Principal regulations were notified *vide* No. G.S.R. 732(E), dated 26th November, 2007 and were amended *vide* G.S.R. 477 (E) dated 7th June, 2010".

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.